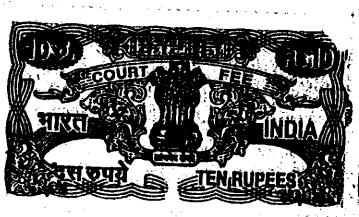

-1-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय,राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र. R 408-I/17 सन् 2017

रामसेवक तनय कल्ले काछी

निवासी सटई तह0 बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.---------- **निगरानीकर्ता**

बनाम

शासन म.प्र. ---------------- **गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
माननीय अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के न्यायालय मे विचाराधीन स्वप्रेरणा निगरारी प्रकरण क्रं. 62/अ-19/93-94 नियत दिनांक 31-12-16 से परिवेदित होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है -

1- यह कि भूमि आराजी नं. 22, 23/1, 24/1, 24/2 रकवा क्रमशः 0.425, 0.967, 0.231, 0.324है0 कुल किता-4 कुल रकवा 1.947 है0 का व्यवस्थापन पट्टा नायब तहसीलदार महोदय मण्डल देवरा तह0 बिजावर के द्वारा प्रकरण क्रं. 118/अ-19/80-81 के तहत् ग्राम सटई केम्प में पारित आदेश दिनांक 23.05.1984 को स्वीकृत किया था ।

2- यह कि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा व्यवस्थापन के तहत् जारी करने के पूर्व समस्त विधिक नियमों का भलीभाँति पालन करते हुये पात्रता के संबंध मे जाँच की गई। निगरानीकर्ता का पट्टा जारी दिनांक के पूर्व से उक्त भूमि पर कब्जा था तथा निगरानीकर्ता को पात्र पाये जाने के पश्चात् उक्त संबंध मे विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर व्यवस्थापन की कार्यवाही सम्पादित की गई।

3- यह कि निगरानीकर्ता को पट्टे मे प्रदाय भूमि वनभूमि व निस्तार पत्रक तथा अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं होकर कृषि भूमि थी जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा प्राप्त करने के उपरान्त खाते मे विधिवत् सुधार किया गया तथा कृषि विकास हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा सटई से ऋण भी प्राप्त कर लिया गया ।

4- यहकि तत्पश्चात् वर्ष 1991-92 में तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा दुर्भावनापूर्वक स्वप्रेरणा से पूर्व मे निगरानीकर्ता को जारी पट्टा प्रकरण को अभिलेख सुधार मे लेकर सुनवाई का अवसर दिये बगैर निरस्त कर दिया तथा भूमि को म0प्र0शासन दर्ज करने के आदेश दिये गये जबकि पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी का आदेश वरिष्ठ अधिकारी से

-2-

राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्र.क्र. 408/17 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित शासन के पक्ष में पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्र. 62/अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 के विरूद्व की गई है। 1. आवेदक के अभिभाषक एवं शासन की ओर से पेनल अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक को ग्राम सटई तह. बिजावर की भूमि खसरा नं. 22, 23/1, 24/1, 24/2, रकवा क्रमशः 0.425, 0.967, 0.231, 0.234, हे. कुल रकवा 1.947 हे. का व्यवस्थापन आवेदक के पुराने कब्जे के आधार पर नायब तहसीलदार मडल देवरा तह. बिजावर के प्रकरण क. 118/अ–19/80–81 में पारित आदेश दिनांक 23.08.1984 को भूमि स्वामी हक पर पट्टा स्वीकृत किया था। पट्टे के पूर्व से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर आवेदक का कृषि करते हुए कब्जा है। 2. आवेदक की पट्टे की भूमि को नायब तहसीलदार द्वारा दुर्भावनापूर्वक स्वप्रेरणा से पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा जारी पट्टा अभिलेख सुधार में लेकर वर्ष 1990–91 को निरस्त कर दिया। जिससे नायब तहसीलदार द्वारा विधिक सिद्धांत का पालन नहीं किया गया कि समान पद धारी पूर्व अधिकारी के आदेश को पश्चात वर्ती पदस्थ नायब तहसीलदार अपने वरिष्ठ अधिकारी से प्रकरण के पुर्नअवलोकन की अनुमति प्राप्त करे व अधिनियम की धारा 51 में पुर्नविलोपन के प्रावधान लिये गये है जिसमें स्पष्ट है कि पूर्व समान पदधारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश वाद उत्तर पदधारी अपने बरिष्ठ अधिकारी से पुर्नअवलोकन की अनुमति लेकर और पक्षकारों के विस्तृत रूप से सुनवाई	

-3- R 408.5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कर ही आदेश पारित कर सकता है अन्यथा नहीं। विधिक प्रावधानों का पालन किये बिना पारित आदेश शून्यवत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. आवेदक द्वारा तहसीलदार के उपरोक्त विधि विरूद्ध एवं अवैध आदेश के विरूद्ध लिखित शिकायत कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो निराकरण हेतु अपर कलेक्टर छतरपुर को भेजी गई। जिस पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। बल्कि आवेदक के आवेदन पर सुप्रेरणा निगरानी के रूप में आवेदक के पक्ष में जारी पट्टे प्रकरण की जांच प्रकरण क्र. 62/अ–19 वर्ष 1993–94 आदेश दिनांक 27.08.94 दर्ज की गई। जो अधिनियम की धारा 50 में सुप्रेरणा की कार्यवाही के दिये गये प्रावधानों एवं बरिष्ठ न्यायालय द्वारा सुप्रेरणा निगरीनी के रूप में 90 दिवस की अवधि कार्यवाही हेतु दी गई है। अधिनस्थ कार्यालय द्वारा तय सीमा के बाहर 10 वर्ष बाद सुप्ररेणा कार्यवाही की गई। जो आवेदक के विरूद्ध 33 वर्षो से निरंतर जारी रखकर आवेदक को अवैधानिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। जबकि आवेदक के विरूद्ध सुप्ररेणा की कार्यवाही चलने योग्य ही नहीं है। जैसा कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा MPWN 1998 S.N. 26 रविन्द्र कुमार विरूद्ध खात्माबाई में "एक वर्ष उपयोग समय निगरानी के लिये उचित है।" मान. उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय दृष्टांत जो आर.एन. 2015 पेज नं. 251 म.प्र. राज्य विरूद्ध कमल सिंह में "पांच वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा पुनरीक्षण विलंवित मानते हुये अपील स्वीकार की गई।स्वप्रेरणा की कार्यवाही एवं आदेश निरस्त किया गया।"

उपरोक्त न्याय दृष्टातों परिप्रेक्ष्य में दोनों आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के तर्को का विरोध किया गया। न्याय दृष्टातों के संबंध में इस प्रकरण में न लागू होने का तर्क किया गया।

4. उभय पक्षों की तर्को एवं न्याय दृष्टातों पर विचार करने पर पाता हूँ कि नायव तहसीलदार को पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश को 10 वर्षो बाद बरिष्ठ अधिकारी से पुर्नअवलोकन की अनुमति लिये बगैर तथा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	परिवेदित पक्षकारों को सुनवाई के बिना पारित आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाता है। साथ ही अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा सुप्रेरणा निगरानी प्रकरण 12 वर्षो बाद सुनवाई में लिये जाने से एवं 33 वर्षो तक विचारण में रखा जाना अधिनियम की धारा 50 की मंशा के विपरीत एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टातों के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर कलेक्टर छतरपुर के निगरानी प्रकरण क्र. 62/अ–19 वर्ष 1993–94 में पारित आदेश दिनांक 31.12.16 एवं 27.08.94 निरस्त किया जाता है। तथा पूर्व नायब तहसीलदार देवरा का प्रकरण क्र. 118/अ–19 वर्ष 1980–81 के तहत आवेदक को खसरा नं. 22, 23/1, 24/2, रकवा क्र. 0.425, 0.967, 0.231, 0.324 हे. भूमि स्थित मौजा सटई तह. बिजावर जिला छतरपुर पारित आदेश दिनांक 23.05.1984 का पट्टा स्थिर रखा जाता है। तहसीलदार देवरा अभिलेख सुधार करे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।	
	सदस्य	